



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261854
CG-DL-E-22032025-261854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946

No. 208]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा.सं. 18-14/15921-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, **रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, दरेंड नागबल गंदेरबल, गंदेरबल, जिला गंदेरबल-191201 (जम्मू-कश्मीर)** जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार तथा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल द्वारा **जीएनएम तथा बी.एससी. नर्सिंग** पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए सचिव (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), जम्मू-कश्मीर सरकार, कमरा संख्या 108, सिविल सचिवालय, श्रीनगर-180001 को संबोधित नोटिस संख्या 18-14/15921-आईएनसी (56357) दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 09.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति **रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, दरेंड नागबल गंदेरबल, गंदेरबल, जिला गंदेरबल-191201 (जम्मू-कश्मीर)** को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, **रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज** के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी **रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज** ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 10.11.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान **जीएनएम तथा बी.एससी. नर्सिंग** पाठ्यक्रम चलाने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, दरेंड नागबल गंदेरबल, गंदेरबल, जिला गंदेरबल-191201 (जम्मू-कश्मीर) से जीएनएम तथा बी.एससी. नर्सिंग मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल जम्मू-कश्मीर राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1070/2024-25]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 18-14/15921-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Royal Institute of Paramedical Sciences** situated at **Darind Nagabal Ganderbal, Ganderbal, Distt. Ganderbal 191201 Jammu & Kashmir** is recognized by State Government of Jammu & Kashmir and Jammu & Kashmir State Paramedical & Nursing Council to conduct GNM and B.Sc(N) Course.

Whereas, a notice no. 18-14/15921-INC (56357) dated **09/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the secretary (Health & Medical Education), Government of Jammu & Kashmir Room No. 108, Civil Secretariat Srinagar – 180001 was issued. Copy of the notice dated 09/05/2024 was also enclosed to **Royal Institute of Paramedical Sciences** situated at **Darind Nagabal Ganderbal, Ganderbal, Distt. Ganderbal 191201 Jammu & Kashmir** In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Royal Institute of Paramedical Sciences**. Even the institution, **Royal Institute of Paramedical Sciences** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 10/11/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run GNM and B.Sc. (N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of **GNM** and **B.Sc(N)** from **Royal Institute of Paramedical Sciences** situated at **Darind Nagabal Ganderbal, Ganderbal, Distt. Ganderbal 191201 Jammu & Kashmir** shall be entitled to be registered only in the State of Jammu & Kashmir.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1070/2024-25]